तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.50/2021**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमे जारी हुए
21.01.2022	पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित। प्रतिवादी शंकर लाल अनुपस्थित। प्रकरण में प्रतिवादी शंकर लाल पुत्र हीदाराम, जाति– माली, निवासी– रेबारी वास, मनी नगर, मनोरा, तहसील व, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अम्बिका मसाला, हरजी रोड, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही ने प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 18.1.2022 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 10.9.2020 को जिस कम्पाउण्ड चपटी हींग का नमूना खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जांच हेतु लिया गया था वह मेरी फर्म अम्बिका मसाला, जावाल से लिया गया था। जिस हींग का नमूना जांच के लिये लिया गया था वह पैकिंग अवस्था में लिया था मैनें मेरी ओर से उसमें कुछ भी नही मिलाया था। मौके पर खरीद का बिल प्रस्तुत नही कर पाया क्योंकि वह मिस हो गया था। मैं एक छोटा दुकानदार हूँ तथा मुश्किल से गुजर बसर होती है। भविष्य में इस प्रकार की सामग्री का विक्रय नही करुंगा। मेरी यह प्रथम गलती है इस संबंध में मैं मेरा जुर्म/गलती स्वीकार करता हूँ, कृपया मुझे इस प्रकरण में मुक्त करने की कृपा करावे। प्रकरण में नियत दिनांक 18.01.2022 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। प्रतिवादी शंकर लाल द्वारा दिनांक 18.1.2022 को उक्तानुसार लिखित जवाब प्रस्तुत कर गलती/जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 18.1.2022 को ही प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी शंकर लाल ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कम जुर्माना करने का अनुरोध किया। प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री विनोद कुमार शर्मा, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.9.2020 को समय 1.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म अम्बिका मसाला, हरजी रोड, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता व मालिक की हैसियत से प्रतिवादी शंकर लाल पुत्र हीदाराम माली, जाति– माली, निवासी– रेबारी वास, मनी नगर, मनोरा, तहसील व जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो आम जनता को खाद्य पदार्थ कम्पाउन्ड हींग (चपटी हींग) बेचता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ हींग (चपटी हींग) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत [illegible] हेतु नमूना [illegible] इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष प्रदान करते हुए [illegible] लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:57 IST
Reason: SelfAttested

प्रा. [illegible] सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.50/2021**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता शंकर लाल को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दुकान की आलमारी की रैक में बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ कम्पाउन्ड हींग (चपटी हींग) के 14x250 ग्राम पैक्ड कंटेनर में से कम्पाउन्ड हींग (चपटी हींग) के 4 पैक्ड कंटेनर कम्पाउन्ड हींग (चपटी हींग) (प्रत्येक 250 ग्राम) को जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 400/– (रुपये चार सौ मात्र) विक्रेता शंकर लाल को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1166, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ कम्पाउन्ड हींग (चपटी हींग) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना पाउचेज पर एक–एक लेबल लगाया एवं चारों खरीदशुदा कम्पाउन्ड हींग (चपटी हींग) को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-1166 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जांप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पँहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 11.9.2020 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन [illegible] फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफ[illegible] अभिहित [illegible] मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को [illegible] 2020 को जमा करवाकर रसीद [illegible] उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के [illegible] स्पष्ट है कि आवेदक ....लगातार	

न्यायिक मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

[illegible] मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:57 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.50/2021**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म अम्बिका मसाला, हरजी रोड, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता शंकर लाल से खाद्य पदार्थ कम्पाउन्ड हींग (चपटी हींग) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की विधिवत कार्यवाही करते हुए जांच हेतु नमूनें का एक भाग मय फार्म नम्बर 6 के सीलबन्द लिफाफे के खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाया है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ कम्पाउन्ड हींग (चपटी हींग) के नमूना संख्या S-1166 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./415/Act/2020/415 दिनांक 24.9.2020 के अनुसार खाद्य पदार्थ कम्पाउन्ड हींग (चपटी हींग) का नमूना अमानक (Sub-standard) पाया गया। प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी शंकर लाल ने प्रकरण की अनुसंधान के दौरान आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कम्पाउन्ड हींग (चपटी हींग) के क्रय का बिल प्रस्तुत नही किया। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी शंकर लाल पुत्र हीदाराम माली, जाति– माली, निवासी– रेबारी वास, मनी नगर, मनोरा, तहसील व जिला– सिरोही ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ कम्पाउन्ड हींग (चपटी हींग) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 51 के तहत प्रतिवादी शंकर लाल पुत्र हीदाराम माली, जाति– माली, निवासी– रेबारी वास, मनी नगर, मनोरा, तहसील व जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म अम्बिका मसाला, हरजी रोड, जावाल, तहसील व जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादी शंकर लाल को आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। [illegible] प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते [illegible] दिनांक 15.2.2022 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:07:57 IST
Reason: SelfAttested

सिरोही–307001.